



- ✓ कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। वीस निर्देशन समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देशन सचिव/देश के अनुसूचित निर्देशन एवं सम्बद्धता ब्युज का जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को १०अक्टूबर/०१/०१/०१/०१/०१/०१/०१ से आगामी वर्ष हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिसिध्दी/अधिसिध्दी/आगमनदेशी/निर्देशी एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, ३०१३, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ३०१३ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, ३०१३ द्वारा बनाये गये विधिसि, विनियमों, अदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विधिसि इस कार्यवाही पर्यवश्य की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुसूचित प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में सम्बन्धित प्राधिकृत संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशन एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध टाकरा किया जाता है तथा टाकरा बंध के संबंध में मा. स्वायत्तत्व द्वारा किसी प्रकार की बहिष्कृति संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित बहिष्कृति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधिसि इस कार्यवाही पर्यवश्य संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सम्बन्ध द्वारा प्रारंभ करने के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग शरम होने के पूर्व १०अक्टूबर/०१ से अनुसूचित प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रथम संस्था शरम पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश न्यूनतम आवागमन विधिसि का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला ब्युज, आवागमन ब्युज आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न टैक्सों के सम्बन्ध में समाप्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येकित संघटित पर्यवश्य को लागू करने हेतु निर्देशन समिति के सम्बन्ध उपलब्ध कराने गये अतिरिक्त, भूमि-मदान, पानी/वा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवश्य के संघटन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निर्देशन टीका यदि संस्था में भूमि, स्टाफ, पर्यवस्था, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा १०अक्टूबर/०१/०१/०१/०१/०१/०१/०१ के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं पया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निचयानुसार







